राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) में वर्णित बिन्दओं के सम्बन्ध में विभागीय हस्त पुस्तिका

हस्त पुस्तिका

लोक सूचना अधिकारी
कलक्ट्रेट, अलवर

अध्याय 1

1.1 प्रस्तावना :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुपालना में उपधारा (1)(बी) में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर इस विभाग के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों बाबत उपलब्ध प्रत्याशित सूचना (एन्टीसिपेड इनफॉमेशन) जन साधारण की जानकारी हेतु इस हस्तपुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। जिसमें प्रशासनिक ढॉचे विभाग द्वारा शाखावार नियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों तथा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का उल्लेख किया जा रहा है।

2.2 उद्देश्य :–

इस हस्तलिखित पुस्तिका का मुख्य उददेश्य यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के उपरान्त इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले राजकीय कार्यों के सम्बन्ध में जन साधारण/नागरिकों के प्रति पारदर्शिता बनी रहे तथा अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्य के प्रति उत्तर दायित्व निर्धारित करने की व्यवस्था की जा सके।

1.3 उपयोगिता :–

यह पुस्तिका अलवर जिले के समस्त जन साधारण के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारुप :–

इस पुस्तिका मे लोक प्राधिकरण के संगठन की विशिष्ठयॉ , कृत्य एवं कर्तव्य,अधिकारियां एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य कार्यों के निर्वहन हेतु अधिनियम नियम,अनुदेश और निर्देशिका,नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण लोकसूचना अधिकारियों के नाम पदनाम एवं अन्य विशिष्टया विभिन्न शाखावार कार्य की प्रक्रिया एवं अन्य विवरण अधिकारियों और शाखाओं की निर्देशिका अधिकारियों/ कर्मचारियों की वेतन श्रंखला का विवरण विभाग के लिये आवण्टित बजट व अन्य उपयोगी जानकारी सम्बन्धी विषयों का समावेश किया गया है।

1.5 जानकारी हेतु सम्पर्क व्यक्ति :–

इस पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित प्रभारी अधिकारियों/कार्यालय अध्यक्षों जिनका विवरण अग्र अध्यायों में दिया गया है,से प्राप्त की जा सकती है।

1.6 सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क :–

हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना चाहने वाले व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपये नकद जिसकी उचित रसीद दी जायेगी या जरिये पोस्टल आर्डर या बैकर्स चैंक के शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त वांछित अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु प्रति पेज 2/– का शुल्क(ए–4 या ए–3 साईज हेतु बडे साईज के पेज हेतु वास्तविक शुल्क या लागत सेम्पल या मोडल हेतु वास्तविक लागत अदा करनी होगी) ।

अध्याय 2(मैनुअल–1)

संगठन की विशिष्ठयां,कृत्य एवं कर्तव्य

हस्त पुस्तिका